राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प-2/1/2/रातस/2016-17/ 4241 दिनांक : 08/05/18

-: आदेश :-

राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 31 के तहत निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर आवश्यक/अस्थाई आधार पर तदर्थ पदोन्नति के प्रयोजनार्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन दिनांक 8.6.2017 को किया गया था । तत्समय जिन निरीक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ण उपलब्ध नहीं थे, स्क्रीनिंग कमेटी ने इनके बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/ संतोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, यदि उनमें कुप्रविष्टि नहीं हो तो, ऐसी स्थिति में इन्हें तदर्थ पदोन्नति देने बाबत पुनर्विचार किये जाने की अनुशंषा की गई थी ।

दिनांक 08.06.2017 को पदोन्नति से वंचित रहे निरीक्षकों में से वर्तमान में कार्यरत निम्नांकित भू-अभिलेख निरीक्षकों के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन/ संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने एवं क्रम संख्या-2 व 7 पर अंकित भू-अभिलेख निरीक्षकों द्वारा उनके विरूद्ध पारित दण्डादेश पूर्व में भुगत लिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 7.5.2018 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा के आधार पर इन्हे नायब तहसीलदार पद पर पदस्थापन उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नायब तहसीलदार पद पर निम्नांकित शर्तों के तहत तदर्थ/आवश्यक/अस्थाई आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

1- उक्त पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक अस्थाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश तक बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये दी जा रही है।

2- उक्त आवश्यक/ अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।

3- उक्त पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता, वरिष्ठता या अनुभव संबंधी लाभ देय नहीं होगा और न ही वरिष्ठता में कोई परिवर्तन होगा।

4- आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।

5- आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियां 6 माह अथवा नियमित डीपीसी से चयनित कार्मिकों के उपलब्ध होने में से जो भी पहले हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समयावधि की अनुमति के अध्यधीन तक मान्य होगी ।

6- उक्त आवश्यक/ अस्थाई पदोन्नति को निरस्त करते हुए उनको मूल पद पर किसी भी समय पदावनत करने के अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

7- उक्त पदोन्नति, उपरोक्त संदर्भ में किसी भी मा. न्यायालय में लंबित रिट/ अपील में होने वाले निर्णय/ आदेश के अध्यधीन होगी ।

क.सं.	नाम मय पिता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन जिला
1	उदयलाल/ प्यारचंद	एससी	8.6.58	प्रतापगढ
2	हनुवंतसिंह / रामसिंह	—	8.7.58	पाली
3	सीताराम सेजवाल/प्रेमचंद	एससी	13.5.58	भरतपुर
4	मुरलीधर शर्मा/ भंवरलाल	—	15.5.58	जयपुर
5	बदनसिंह/ चंदनसिंह	—	20.8.59	धौलपुर
6	राजेन्द्रप्रसाद/ शिवचरण	—	25.8.58	भरतपुर
7	भंवरसिंह मीणा/ मांगीलाल	एसटी	1.8.59	झुंझुंनू
8	भगवानसिंह मीणा/देवीराम	एसटी	10.1.60	भरतपुर

उपरोक्त नवपदोन्नत नायब तहसीलदारों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं ।

आदेशानुसार,

(सुरेश सिन्धी)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
2- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
3- जिला कलेक्टर, ... ।
4- प्रभारी अधिकारी, (वि.जांच/ गोपनीय/भू-अभि.)), राजस्व मण्डल, अजमेर।
5- संबंधित श्री . . . .
6- निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।

(सुरेश सिन्धी)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प-2/1/2/रातस/2016-17/4233 दिनांक : 08/05/18

-: आदेश :-

राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 31 के तहत निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर आवश्यक/अस्थाई आधार पर तदर्थ पदोन्नति के प्रयोजनार्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन दिनांक 8.6.2017 को किया गया था। तत्समय श्री सोहनलाल, का नाम भू-अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 1.4.2013 की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण इनके पदोन्नति प्रकरण पर विचार नहीं किया गया था।

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/भू-अ./ई-1/प-23/2015/9102-9 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा श्री सोहनलाल/ आशाराम (जन्मतिथि 5.7.1958) की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए इनका नाम भू-अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 1.4.2013 की जारी की गई अंतिम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 1209-ए पर जोडे जाने के फलस्वरूप दिनांक 8.6.2017 को आयोजित की गई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के क्रम में दिनांक 7.5.2018 को आयोजित स्क्रीनिंक कमेटी की बैठक की अनुशंषा के आधार पर श्री सोहनलाल भू-अभिलेख निरीक्षक को इनके नायब तहसीलदार पद पर पदस्थापन उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नायब तहसीलदार पद पर निम्नांकित शर्तो के तहत तदर्थ/आवश्यक/अस्थाई आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

1- उक्त पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक अस्थाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश तक बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये दी जा रही है।

2- उक्त आवश्यक/ अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।

3- उक्त पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता, वरिष्ठता या अनुभव संबंधी लाभ देय नहीं होगा और न ही वरिष्ठता में कोई परिवर्तन होगा।

4- आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।

5- आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियां 6 माह अथवा नियमित डीपीसी से चयनित कार्मिकों के उपलब्ध होने में से जो भी पहले हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समयावधि की अनुमति के अध्यधीन तक मान्य होगी ।

6- उक्त आवश्यक/ अस्थाई पदोन्नति को निरस्त करते हुए उनको मूल पद पर किसी भी समय पदावनत करने के अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

7- उक्त पदोन्नति, उपरोक्त संदर्भ में किसी भी मा. न्यायालय में लंबित रिट/ अपील में होने वाले निर्णय/ आदेश के अध्यधीन होगी ।

आदेशानुसार,

(सुरेश सिन्धी)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/ 4234-40 दिनांकः 08/05/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
2- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
3- जिला कलेक्टर बीकानेर ।
4- प्रभारी अधिकारी, (वि.जांच/ गोपनीय/भू-अभि.), राजस्व मण्डल, अजमेर।
5- श्री सोहनलाल/ आशाराम, भू-अभिलेख निरीक्षक, द्वारा जिला कलेक्टर-बीकानेर।
6- निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।

(सुरेश सिन्धी)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर